


नागरिक शास्त्र

- अनुक्रमणिका -

हमारा संविधान

क्र.	पाठ का नाम	पृष्ठ क्र.	
१.	संविधान से हमारा परिचय	६३	
२.	संविधान की उद्देशिका	६८	
३.	संविधान की विशेषताएँ	७२	
४.	मौलिक अधिकार भाग-१	७६	
५.	मौलिक अधिकार भाग-२	८०	
६.	नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य ...	८३	



क्षमता विधान

क्र.	घटक	क्षमता
१.	संविधान से हमारा परिचय	<ul style="list-style-type: none"> - संविधान की कार्य प्रणाली में विरोधी मतों-विचारों का उचित सम्मान किया गया; यह समझना । - संविधान निर्माण में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा दिए गए योगदान का महत्त्व समझना । - संविधान का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे मूल्यों के आधार पर नए समाज का निर्माण करना । - लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार आचरण करना ।
२.	संविधान उद्देशिका	<ul style="list-style-type: none"> - संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित मूल्य मानवतावाद पर आधारित हैं; यह समझना । - प्रभुत्व संपन्न राज्य की अवधारणा को समझना । - लोकतंत्र में प्रशासन की सत्ता लोगों के हाथ में होती है; इसे समझना । - लोकतंत्र में विचार-विमर्श के आधार पर सामूहिक रूप से निर्णय लिये जाते हैं; इसका बोध करना ।
३.	संविधान की विशेषताएँ	<ul style="list-style-type: none"> - संविधान की विशेषताएँ बताना आना । - लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशेषताएँ बताना । - संघराज्य प्रणाली में दो स्तरों पर शासन संस्थाएँ कार्य करती हैं; यह ज्ञात करना ।
४.	मौलिक अधिकार	<ul style="list-style-type: none"> - संविधान में उल्लिखित अधिकारों को न्यायालय का विशेष संरक्षण प्राप्त रहता है; यह समझना । - सभी स्तरों पर कार्य करनेवाली शासन संस्थाओं पर मौलिक अधिकार बंधनकारक होते हैं; यह बताना । - कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं; यह बोध विकसित होना । - भारत में धार्मिक विविधता का सम्मान करने की प्रवृत्ति को विकसित करना । - सभी अल्पसंख्यक अपनी-अपनी भाषा, लिपि, साहित्य का संवर्धन कर सकते हैं; इसका बोध करना । - किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के और गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाकर स्थानबद्ध नहीं कर सकते; इस विषय में जानकारी प्राप्त करना ।
५.	नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य	<ul style="list-style-type: none"> - नीति निदेशक सिद्धांतों पर आधारित बनाए गए कानूनों की सूची तैयार करना आना । - नीति निदेशक सिद्धांतों को न्यायालयीन संरक्षण प्राप्त नहीं है परंतु वे सिद्धांत नैतिक रूप से सरकार पर बंधनकारक हैं; इसे समझना । - राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति आदर रखने की भावना को विकसित करना । - पर्यावरण की रक्षा करने हेतु उचित कृति करने में अग्रसर होना । - महिलाओं की प्रतिष्ठा के प्रति आदर भाव रखने की प्रवृत्ति का संवर्धन करना । - अंधविश्वास का उन्मूलन कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पोषण करने हेतु प्रवृत्त करना । - भारतीयत्व का बोध विकसित करना ।

१. संविधान से हमारा परिचय

चलो, थोड़ा-सा दोहरा लें

इसके पूर्व की कक्षाओं में नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों में हमने नियमों की आवश्यकता के विषय में बहुत सारे बिंदुओं को समझा है। परिवार, विद्यालय, हमारा गाँव, महानगर का कार्यव्यापार सुचारु रूप से चले; इसके लिए हम संकेतों और नियमों का पालन करते हैं। परिवार के नियम नहीं होते हैं परंतु प्रत्येक परिवार के सदस्य कैसा आचरण करेंगे; इस बारे में कुछ संकेत होते हैं। विद्यालय में प्रवेश, गणवेश और अध्ययन के विषय में नियम होते हैं। विविध स्पर्धाओं के भी नियम होते हैं। हमारे गाँव और महानगरों का शासन भी नियमों के अनुसार चलता है। इसी भाँति हमारे देश का शासन भी नियमों अर्थात् कानून के अनुसार चलता है। परिवार, विद्यालय, गाँव, महानगर से संबंधित नियमों का स्वरूप सीमित होता है परंतु देश के शासन से संबंधित कानून अथवा प्रावधान व्यापक होते हैं।

समीर और वंदना के मन में जो प्रश्न उपस्थित हुए हैं; क्या तुम भी उन प्रश्नों को पूछना चाहते हो ?

- देश का शासन जिन कानूनों या प्रावधानों के अनुसार चलता है; वे नियम कहाँ होते हैं ?
- उन नियमों को कौन बनाता है? क्या उन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है?

इन प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए पाठ्यांश में तुम्हें मिलते हैं क्या? यह देखो।

संविधान : अर्थ

देश का शासन चलाने से संबंधित जो कानून एवं प्रावधान एकत्रित और सूत्रबद्ध पद्धति से जिस पुस्तक में उल्लिखित रहते हैं; उसे संविधान कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान देश के प्रशासन से संबंधित कानूनों और प्रावधानों का लिखित दस्तावेज है। जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं। संविधान के कानून के

अनुसार ही प्रशासन चलाना शासन के लिए अनिवार्य होता है। संविधान में उल्लिखित प्रावधान अथवा कानून मूलभूत होते हैं। सरकार संविधान के साथ विसंगति रखनेवाले कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती। यदि सरकार ऐसा करती है तो न्यायपालिका उन कानूनों को रद्द कर सकती है।

संविधान में उल्लिखित कानून अथवा प्रावधान :

संविधान में उल्लिखित कानून अथवा प्रावधान विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं। जैसे- नागरिकत्व, नागरिकों के अधिकार, नागरिक और शासन संस्थाओं के बीच के संबंध, सरकार द्वारा किए जानेवाले कानूनों के विषय, चुनाव, सरकार की सीमाएँ एवं राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र आदि।

सभी देशों ने संविधान के अनुसार शासन चलाने के सिद्धांत को स्वीकार किया है परंतु ऐसा होने पर भी प्रत्येक देश के संविधान का स्वरूप एक-दूसरे से भिन्न होता है। इतिहास, समाज संरचना, संस्कृति, परंपरा आदि बातों में अलग-अलग देशों में विभिन्नता अथवा अलगपन पाया जाता है। इसी तरह प्रत्येक राष्ट्र की आवश्यकताएँ और उद्देश्य भी एक-दूसरे-से भिन्न होते हैं। परिणामस्वरूप प्रत्येक राष्ट्र अपनी-अपनी आवश्यकताओं और उद्देश्यों के अनुरूप अपना संविधान तैयार करने का प्रयास करता है।



क्या तुम जानते हो ?

अमेरिका, इंग्लैंड का शासन संविधान के अनुसार चलता है परंतु दोनों के संविधानों में अंतर है। जैसे - अमेरिका का संविधान ई.स. १७८९ में कार्यान्वित हुआ। यह संविधान लिखित स्वरूप में है तथा उसमें केवल ७ धाराओं का समावेश है। यद्यपि संविधान लागू होकर २२५ वर्षों से भी अधिक समय बीत गया है; फिर भी अमेरिका का शासन आज भी उसी संविधान के अनुसार चलाया जाता है।

इंग्लैंड का इतिहास अनेक शताब्दियों का रहा है। इस देश में शासन से संबंधित कानून संकेतों, रूढ़ियों और परंपराओं के रूप में पाए जाते हैं। फिर भी इन कानूनों का पालन बड़ी कड़ाई से किया जाता है। ई.स.१२१५ में मैग्नाकार्ट अनुबंध संपन्न हुआ; तब से इंग्लैंड का संविधान विकसित होता गया। इसमें कुछ ही लिखित कानूनों का समावेश है फिर भी इंग्लैंड का संविधान प्रमुखतः अलिखित स्वरूप में है।



चलो, खोजें

अपने पसंदीदा किसी एक देश के संविधान के बारे में निम्न मुद्दों के आधार पर जानकारी प्राप्त करो :-

देश का नाम, संविधान निर्माण का वर्ष, संविधान की दो विशेषताएँ।

संविधान की आवश्यकता : संविधान में उल्लिखित कानूनों/प्रावधानों के अनुसार सरकार चलाने के अनेक लाभ हैं।

- * सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह कानून के दायरे में रहकर ही प्रशासन चलाए। फलस्वरूप सरकार को प्राप्त अधिकारों अथवा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की संभावना कम रहती है।
- * संविधान में नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता का उल्लेख रहता है। सरकार उन अधिकारों को छीनकर नहीं ले सकती। इससे नागरिकों के अधिकार एवं उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है।
- * संविधान के कानूनों/प्रावधानों के अनुसार प्रशासन चलाना ही कानून का राज्य स्थापित करने जैसा है क्योंकि इसमें सत्ता के दुरुपयोग अथवा मनमाना प्रशासन करने के लिए अवसर नहीं रहता है।
- * संविधान के अनुसार प्रशासन चलता देख सरकार के प्रति आम लोगों में विश्वास निर्माण हो जाता

है। इसके द्वारा वे प्रशासन में प्रतिभागी बनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। आम लोगों की बढ़ती प्रतिभागिता के कारण लोकतंत्र अधिक दृढ़ बनता है।

- * संविधान अपने-अपने देश के सम्मुख राजनीतिक आदर्श उपस्थित करता है। संविधान के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना संबंधित देश पर बंधनकारक होता है। इसके द्वारा विश्व शांति और सुरक्षा तथा मानवीय अधिकारों के संवर्धन हेतु पोषक वातावरण का निर्माण होता है।
- * संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का भी उल्लेख रहता है। फलस्वरूप नागरिकों के उत्तरदायित्व भी निश्चित हो जाते हैं।

प्रशासन किसे कहते हैं ?

किसी भी राष्ट्र के प्रशासन में किन बातों का समावेश रहता है ?

देश की सीमाओं की तथा विदेशी आक्रमण से जनता की रक्षा करने से लेकर दरिद्रता उन्मूलन, रोजगार निर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा, उद्योग-व्यवसायों को प्रोत्साहन देना, दुर्बल वर्गों का संरक्षण, महिला, शिशु और आदिवासियों की उन्नति हेतु उपाय योजना करना जैसे अनगिनत विषयों पर सरकार (शासन) को कानून बनाने पड़ते हैं। कानून के कार्यान्वयन द्वारा समाज में आवश्यक परिवर्तन लाने पड़ते हैं। संक्षेप में कहना हो तो आधुनिक समय में सरकार को अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर सार्वजनिक स्वच्छता तक के सभी विषयों में निर्णय करने पड़ते हैं। इसी को प्रशासन कहा जाता है।

संविधान का अर्थ और उसकी आवश्यकता को समझ लेने पर अब हम भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ; यह देखेंगे।

संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि : भारत के संविधान निर्माण का प्रारंभ ई.स.१९४६ से ही हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रशासन अंग्रेजों के कानून के अनुसार नहीं चलेगा अपितु भारतीयों द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार चलेगा, इस बात के प्रति स्वतंत्रता आंदोलन के नेता आग्रही थे। फलतः

भारत का संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति को 'संविधान सभा' कहा जाता है।

संविधान सभा : हमारा देश १५ अगस्त १९४७ को स्वतंत्र हुआ। इसके पूर्व भारत पर अंग्रेजों का



डॉ. राजेंद्र प्रसाद

शासन था। अंग्रेज सरकार ने राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से मुंबई प्रांत, बंगाल प्रांत और मद्रास प्रांत जैसे विभाग गठित किए थे। इन प्रांतों का प्रशासन वहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता था। इसी भाँति देश के कुछ हिस्सों का प्रशासन वहाँ के स्थानीय नरेश चलाते थे। इन क्षेत्रों को रियासतें कहते थे और उन रियासतों के प्रमुख को रियासतदार कहते थे। संविधान सभा में प्रांतों और रियासतों के प्रतिनिधियों का समावेश था।

संविधान सभा में कुल २९९ सदस्य थे। डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का योगदान :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रारूप (मसौदा) समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने



डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

रात-दिन अध्ययन एवं चिंतन कर संविधान का प्रारूप तैयार किया।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान का प्रारूप संविधान सभा के सम्मुख रखा गया।

संविधान की एक-एक धारा पर विचार विमर्श हुआ। कई संशोधन एवं सुधार सुझाए गए। संविधान सभा के समक्ष संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करने, प्रारूप से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने तथा संविधान सभा के अभिप्रायों के अनुसार मूल प्रारूप में परिवर्तन करने, प्रत्येक कानून और प्रावधान को त्रुटिरहित बनाने का कार्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने किया। भारत के संविधान निर्माण में उनके द्वारा दिए गए इस योगदान के कारण उन्हें 'भारतीय संविधान का शिल्पकार' कहते हैं।

संपूर्ण संविधान लिखकर पूर्ण होने पर संविधान सभा ने उसे मान्यता प्रदान की और २६ नवंबर १९४९ को उसको स्वीकार किया। अतः २६ नवंबर का दिन 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया जाता है। संविधान के कानूनों एवं प्रावधानों के अनुसार

यह बात कितनी गौरवपूर्ण है !

- संविधान सभा में सभी निर्णय चर्चा और विचार-विमर्श के आधार पर लिए गए। विरोधी मतों के प्रति आदर और उनके उचित अभिप्रायों को स्वीकार किया जाना संविधान सभा के कामकाज की विशेषता थी।
- संविधान लिखकर पूर्ण होने में २ वर्ष, ११ महीने और १७ दिन का समय लगा।
- मूल संविधान में २२ अनुभागों, ३९५ धाराओं और ८ परिशिष्टों का समावेश था।




क्या तुम जानते हो ?


संविधान सभा में डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पं. जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, जे.बी. कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता जैसे अनेक मान्यवर सदस्य थे। कानून विशेषज्ञ बी. एन. राव की संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई थी।

देश का शासन २६ जनवरी १९५० से चलना प्रारंभ हुआ । इस दिन से भारत का गणतांत्रिक राज्य

अस्तित्व में आया । अतः हम २६ जनवरी का दिन 'गणतंत्र दिवस' के रूप में मनाते हैं ।



पं.जवाहरलाल नेहरू



सरदार वल्लभभाई पटेल



मौलाना आजाद



सरोजिनी नायडू



करके देखो

तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी कक्षा का प्रशासन नियमों के अनुसार चलना चाहिए । उन नियमों में तुम किन नियमों का समावेश करोगे ? तो फिर चलो... कक्षा के लिए नियमावली बनाओ ।



क्या तुम जानते हो ?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का योगदान जलप्रबंधन, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, पत्रकारिता, अर्थनीति, सामाजिक न्याय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रहा ।



भारतीय संविधान का प्रारूप डॉ. राजेंद्र प्रसाद को सौंपते हुए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर



स्वाध्याय

१. निम्न अवधारणा को स्पष्ट करो :

- (१) संविधान में उल्लिखित कानून/प्रावधान
- (२) संविधान दिवस

२. चर्चा करो :

- (१) संविधान समिति का गठन किया गया ।
- (२) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहते हैं ।
- (३) देश के प्रशासन में समाविष्ट बातें ।

३. उचित विकल्प चुनो :

- (१) किस देश का संविधान पूर्णतः लिखित स्वरूप में नहीं है ?
 (अ) अमेरिका (ब) भारत
 (क) इंग्लैंड (ड) इनमें से कोई नहीं ।
- (२) संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ?
 (अ) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
 (ब) डॉ. राजेंद्रप्रसाद
 (क) दुर्गाबाई देशमुख
 (ड) बी.एन.राव
- (३) निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे ?
 (अ) महात्मा गांधी
 (ब) मौलाना आजाद

(क) राजकुमारी अमृत कौर

(ड) हंसाबेन मेहता

(४) प्रारूप (मसौदा) समिति के अध्यक्ष कौन थे ?

(अ) डॉ. राजेंद्र प्रसाद

(ब) सरदार वल्लभभाई पटेल

(क) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर

(ड) जे.बी.कृपलानी

४. अपने विचार लिखो :

- (१) सरकार को किन-किन विषयों से संबंधित कानून बनाने पड़ते हैं ?
- (२) २६ जनवरी का दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं ?
- (३) संविधान में उल्लिखित कानूनों/प्रावधानों के अनुसार शासन चलाने के लाभ ।

उपक्रम

- (१) संविधान सभा में विभिन्न समितियों का गठन हुआ। उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करो और समितियों के शीर्षकों की सारिणी बनाओ। शीर्षकों सहित चित्रों का संग्रह करो ।
- (२) विद्यालय में 'संविधान दिवस' किस प्रकार मनाया गया। इसका प्रतिवेदन तैयार करो ।
- (३) संविधान सभा में समाविष्ट सदस्यों के चित्रों का संग्रह बनाओ ।



२. संविधान की उद्देशिका

पिछले पाठ में हमने क्या सीखा !

- संविधान कानूनों का एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है; जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है।
- भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया।
- हमारे जनप्रतिनिधियों को संविधान के कानूनों के अनुसार ही देश का कार्य चलाना पड़ता है।

संविधान हमारे देश का मौलिक और श्रेष्ठतम कानून है। किसी भी कानून को बनाने के पीछे कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य निर्धारित किए जाने के बाद विस्तार में कानून के अन्य कानून अथवा प्रावधान बनाए जाते हैं। उन कानूनों की एकत्रित रूप में संक्षिप्त और सुसूत्रता के साथ की गई संरचना को उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका हमारे संविधान के उद्देश्यों का परिचय कराती है।



करके देखो

संविधान की उद्देशिका पढ़ो। उसमें आए हुए शब्दों की सूची बनाओ। ये शब्द तुम अन्यत्र कहाँ पढ़ते हो?

हम सभी भारत के नागरिक हैं। हम सभी को एक देश के रूप में क्या प्राप्त करना है; इसे उद्देशिका स्पष्ट करती है। इसमें उल्लिखित मूल्य, विचार, लक्ष्य और उद्देश्य उदात्त हैं। उन्हें कैसे प्राप्त करना है; इससे संबंधित कानून संपूर्ण संविधान द्वारा स्पष्ट किए गए हैं।

संविधान की उद्देशिका का प्रारंभ 'हम भारत के लोग' शब्दों से होता है। इसमें भारतीयों के उस दृढ़ संकल्प का उल्लेख है; जिसके अनुसार सभी

भारतीय भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। इस संकल्पना की प्रत्येक अवधारणा का अर्थ हम समझेंगे।

(१) प्रभुत्व संपन्न राज्य : भारत पर दीर्घकाल तक अंग्रेजों का शासन रहा। यह शासन १५ अगस्त १९४७ को समाप्त हुआ। हमारा देश स्वतंत्र हुआ। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हुआ। हम अपने देश के विषय में उचित नीतियाँ बनाने और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ किसी देश का किसी विदेशी नियंत्रण में न होना है।

हमारे समग्र स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रमुख उद्देश्य प्रभुत्व संपन्न बनना था। प्रभुत्व संपन्न बनने का अर्थ सरकार चलाने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होना है। लोकतंत्र में प्रभुत्व संपन्नता जनता के अधिकार में होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है तथा उन प्रतिनिधियों को उनकी संप्रभुता के अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करती है। हम अपने देश के अंतर्गत कौन-से कानून बनाएँ; यह निश्चित करने का अधिकार जनता और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को प्राप्त है।

(२) समाजवादी राज्य : समाजवादी राज्य उसे कहते हैं; जिस राज्य में निर्धन और धनवानों के बीच खाई नहीं होती है। देश की संपत्ति पर सभी का अधिकार होता है। कुछ ही लोगों के हाथ में संपत्ति का एकात्रीकरण नहीं होगा; इसकी सावधानी बरती जाती है।

(३) पंथ निरपेक्ष राज्य : उद्देशिका में पंथ निरपेक्षता को हमारा उद्देश्य बताया गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है।

किसी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में

स्वीकार नहीं किया जाता । नागरिकों को अपने-अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता रहती है । धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता ।



क्या तुम जानते हो ?

पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाकर हमने समाज की बहुधार्मिकता को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है । हमें संविधान द्वारा अनेक अधिकार प्राप्त हुए हैं परंतु उनका हम मनमाना अथवा असीमित उपयोग नहीं कर सकते । यह बात धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में भी लागू होती है । जब हम त्योहार-पर्व मनाते हैं तब हमें सार्वजनिक स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण का विचार करना भी आवश्यक होता है ।

(४) लोकतांत्रिक राज्य : लोकतंत्र में प्रशासन की सत्ता लोगों के हाथों में होती है । उनकी इच्छा के अनुसार सरकार निर्णय लेती है और नीतियाँ निर्धारित करती है । सभी का कल्याण साध्य करने हेतु सरकार को महत्त्वपूर्ण आर्थिक-सामाजिक निर्णय लेने पड़ते हैं । इस प्रकार के निर्णय प्रतिदिन सभी लोगों को इकट्ठे आकर लेना संभव नहीं होता है । अतः निश्चित अवधि के पश्चात चुनाव होते हैं । इन चुनावों में मतदाता अपना वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं । निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान द्वारा निर्मित संसद, कार्यपालिका में प्रवेश करते हैं । संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया द्वारा संपूर्ण जनता के लिए निर्णय लिए जाते हैं ।

(५) गणराज्य : हमारे देश में लोकतंत्र के साथ-साथ गणतांत्रिक प्रणाली प्रचलित है । गणराज्य में सभी सार्वजनिक पद लोगों द्वारा चुने जाते हैं । कोई भी सार्वजनिक पद वंश-परंपरा अथवा विरासत में प्राप्त नहीं होता है ।

चर्चा करो

‘मेरा परिवार’ विषय पर दीपा ने क्या लिखा है ? वह पढ़ो ।

लोकतंत्र से तात्पर्य केवल चुनाव नहीं है । मेरे माता जी-पिता जी घर के सभी काम इकट्ठे करते हैं । उन कामों में हम भी हाथ बँटाते हैं । एक-दूसरे से बोलते समय हम संभवतः झगड़ा न करते हुए बोलते हैं । यदि झगड़ा होता भी है; तब भी शीघ्र ही उसे सुलझाकर एक-दूसरे का कहना सुन लेते हैं । यदि दादा जी-दादी जी कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो उनसे भी पूछा जाता है । अनुजा को कृषि अध्ययन में अनुसंधान करना है । उसका यह निर्णय सभी को पसंद आया ।

दीपा के घर में लोकतांत्रिक पद्धति प्रचलित है; ऐसा तुम्हें लगता है क्या ? इस परिच्छेद में लोकतंत्र की कौन-सी विशेषताएँ पाई जाती हैं ?

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महापौर (मेयर), सरपंच जैसे पद सार्वजनिक पद हैं । इन पदों पर विशिष्ट आयु की शर्त पूर्ण करने वाला कोई भी भारतीय नागरिक चुनाव लड़कर पहुँच सकता है । राज्यसत्ता प्रणाली में ये पद वंश परंपरा अथवा विरासत में एक ही परिवार के व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं ।

उद्देशिका द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को तीन मूल्यों-न्याय, स्वतंत्रता और समता को और उनके अनुसार आचरण करने का, कानून बनाकर उन मूल्यों को प्रत्यक्ष व्यवहार में उतारने का आश्वासन दिया गया है । इन मूल्यों के अर्थ हम समझेंगे ।

(१) न्याय : न्याय का अर्थ होने वाले अन्याय को दूर कर सभी को उनकी प्रगति हेतु अवसर प्राप्त कराना है । सभी का कल्याण होगा; इस दृष्टि से उपायों की योजना करना ही न्याय को प्रस्थापित करना है । उद्देशिका में न्याय के तीन भेद बताए गए हैं । वे इस प्रकार हैं -

(अ) सामाजिक न्याय : व्यक्ति-व्यक्ति में

जाति, धर्म, वंश, भाषा, प्रदेश, जन्मस्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी मनुष्य एक समान हैं।

(ब) आर्थिक न्याय : भूख, भुखमरी, कुपोषण जैसी बातें निर्धनता अथवा दरिद्रता के कारण जन्म लेती हैं। निर्धनता को दूर करने के लिए प्रत्येक को अपना और अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए आजीविका का कोई साधन प्राप्त करने का अधिकार है। हमारे संविधान ने प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार बिना किसी भेदभाव के प्रदान किया है।

(क) राजनीतिक न्याय : देश का शासन चलाने में सभी को प्रतिभागी बनने का अधिकार मिलना चाहिए। परिणामतः हमने वयस्क मतदान प्रणाली को अंगीकार किया है। इसके अनुसार १८ वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है।

(२) स्वतंत्रता : हम पर अन्यायकारी और अनुचित प्रतिबंध न होना तथा हमारी क्षमताओं का विकास होने हेतु पोषक वातावरण का होना; स्वतंत्रता की व्याख्या है। लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त रहती है। स्वतंत्रता के होने से ही लोकतंत्र दृढ़ और परिपक्व बनता है।

विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता है। प्रत्येक नागरिक अपनी राय और अपने विचार व्यक्त कर सकता है। विचारों के आदान-प्रदान द्वारा पारस्परिक सहयोग और एकता की भावना में वृद्धि होती है। साथ ही किसी समस्या के अनेक पहलू हमारे ध्यान में आते हैं।

व्यक्ति की श्रद्धा, मान्यता और पूजा-उपासना की स्वतंत्रता द्वारा प्रमुखतः धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्त होती है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म अथवा उसे पसंद आने वाले धर्म की सीख के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता में हमें अपने पर्व-त्योहार मनाने, ईश्वर की भक्ति करने और

चर्चा करो

स्वतंत्रता से संबंधित कुछ विधान नीचे दिए गए हैं। उनपर चर्चा करो।

- सार्वजनिक रूप में पर्व-त्योहार मनाते समय कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इससे हमारी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का बंधन नहीं आता।
- स्वतंत्रता का अर्थ मनमाना आचरण करना नहीं है अपितु उत्तरदायित्व के साथ आचरण करना है।

पूजा-अर्चना की स्वतंत्रता निहित है।

(३) समता : उद्देशिका द्वारा भारतीय नागरिकों को दर्जा और अवसर की समानता से आश्वस्त कराया गया है।

इस सिद्धांत के अनुसार सभी समान हैं और जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर व्यक्ति-व्यक्ति के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऊँच-नीच, श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ जैसा भेदभाव न करना ही समता का आश्वासन देना है। उद्देशिका में उल्लिखित अवसर की समानता के सिद्धांत को अत्यंत महत्त्व प्राप्त है। अपनी उन्नति के अवसर सभी को प्राप्त होंगे। वे उपलब्ध करवाते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।

संविधान की उद्देशिका में एक अनूठे आदर्श अथवा सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। वह आदर्श अथवा सिद्धांत से तात्पर्य बंधुता का निर्माण करने का उद्देश्य और व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने का आश्वासन है।

(४) बंधुता : संविधानकर्ता अनुभव करते थे कि केवल न्याय, स्वतंत्रता और समता सिद्धांतों से आश्वस्त कराकर भारतीय समाज में समता उत्पन्न नहीं हो सकती। इसके लिए चाहे जितने कानून बनाए जाएँ लेकिन जब तक भारतीयों में भाईचारा अथवा बंधुता का निर्माण नहीं होगा तब तक इन

कानूनों का उचित उपयोग नहीं होगा। फलस्वरूप बंधुता निर्माण करने के उद्देश्य को उद्देशिका में समाविष्ट किया गया है।

हमारे देश के सभी नागरिकों के प्रति एक-दूसरे में आत्मीयता और अपनापन का भाव होना ही बंधुता है। बंधुता की भावना एक-दूसरे के प्रति सहृदयता का भाव उत्पन्न करती है। लोग एक-दूसरे की समस्याओं के बारे में संवेदनापूर्वक विचार करते हैं।

बंधुभाव और व्यक्ति की गरिमा के बीच निकट का संबंध है। व्यक्ति की गरिमा से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य के रूप में गरिमा प्राप्त है। उसकी गरिमा उसकी जाति, धर्म, वंश, लिंग, भाषा पर निश्चित नहीं होती। जिस प्रकार हमें यह लगता है

कि दूसरे हमारे साथ आदर-सम्मान का व्यवहार करें; वैसा आदर-सम्मान का व्यवहार हमें दूसरों के प्रति भी करना चाहिए।

जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करते हुए उसकी स्वतंत्रता और अधिकार का आदर करेगा; तभी अपने-आप व्यक्ति की गरिमा का निर्माण होगा। ऐसे वातावरण में बंधुता भाव में सहजता से वृद्धि होगी। न्याय और समता पर आधारित नव समाज का निर्माण कार्य भी अधिक आसान होगा। इसका मार्गदर्शन भारतीय संविधान की उद्देशिका द्वारा प्राप्त होता है।

भारत की जनता ने इस संविधान को स्वयं को अर्पित किया है; इस उल्लेख के साथ उद्देशिका की समाप्ति होती है।



स्वाध्याय

१. ढूँढो और लिखो :

स	पं	थ	नि	र	पे	क्ष
मा	स	म	ता	ना	भा	लो
ज	बं	धु	ता	व	क	क्ष
वा	भा	व	धु	तं	न्या	नि
द	मा	लो	त्र	त्र	ए	य

- (१) देश के सभी नागरिकों और एक-दूसरे के प्रति आत्मीयता की भावना होना।
- (२) प्रशासन लोगों के हाथ में होना।
- (३) सभी धर्मों को समान मानना।

२. लेखन करो :

- (१) पंथ निरपेक्ष राज्य में कौन-से कानून होते हैं ?
- (२) वयस्क मतदान प्रणाली किसे कहते हैं ?
- (३) आर्थिक न्याय द्वारा नागरिकों को कौन-से अधिकार प्राप्त होते हैं ?
- (४) समाज में व्यक्ति की गरिमा किस प्रकार निर्माण हो सकती है ?

३. हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। हमें उसका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए; तुम अपना मत/विचार लिखो/बताओ।

४. अवधारणाएँ स्पष्ट करो :

- (१) समाजवादी राज्य -
- (२) समता -
- (३) संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य -
- (४) अवसर की समानता -

५. भारतीय संविधान की उद्देशिका में किन-किन महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है ?

उपक्रम

- (१) शिक्षकों की सहायता से मतपत्र और मतदान यंत्र (EVM) को समझ लेने के लिए तहसील कार्यालय जाओ।
- (२) अपने परिसर में उपलब्ध होने वाले समाचारपत्रों के नामों की सूची बनाओ।



३. संविधान की विशेषताएँ

पिछले दो पाठों में हमने भारतीय संविधान का निर्माण और संविधान की उद्देशिका का अध्ययन किया। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य जैसी अवधारणाओं को समझा। उद्देशिका में उल्लिखित ये उद्देश्य हमारे संविधान की विशेषताएँ भी हैं। इसके अतिरिक्त संविधान की अन्य दूसरी कौन-सी विशेषताएँ हैं; इसे हम इस पाठ में देखेंगे।

संघराज्य : संघीय राज्यव्यवस्था हमारे संविधान की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। भूप्रदेश विशाल हो और जनसंख्या अधिक हो तो ऐसे देशों में शासन चलाने की एक प्रचलित प्रणाली है। उसे संघराज्य प्रणाली कहते हैं। विशाल और व्यापक भूप्रदेश होने पर एक ही स्थान से प्रशासन चलाना कठिन होता है। सुदूर प्रदेश दुर्लक्षित हो जाते हैं। वहाँ के लोगों को प्रशासन में प्रतिभागी बनने का अवसर नहीं मिलता। अतः संघराज्य में दो स्तरों पर शासन संस्थाएँ होती हैं। संपूर्ण देश की सुरक्षा, विदेश नीति, शांति आदि कार्य केंद्र सरकार के दायित्व होते हैं। इसे 'केंद्र सरकार' अथवा 'संघ शासन' भी कहते हैं। केंद्र सरकार संपूर्ण देश का प्रशासन चलाती है।

जिस प्रदेश में हम रहते हैं; उस प्रदेश का प्रशासन चलाने वाले शासन को 'राज्य सरकार' (राज्य शासन) कहते हैं। राज्य सरकार किसी सीमित प्रदेश का प्रशासन चलाती है। जैसे-महाराष्ट्र राज्य सरकार। दो स्तरों पर विभिन्न विषयों पर कानून बनाकर पारस्परिक सहयोग द्वारा शासन चलाने की इस प्रणाली को 'संघराज्य' कहते हैं।

अधिकारों का विभाजन : संविधान ने संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच अधिकारों का विभाजन किया है। उसके अनुसार किस विषय के अधिकार किसके पास हैं; यह देखेंगे। हमारे संविधान ने तीन सूचियाँ बनाई है और उनमें विभिन्न विषयों का उल्लेख किया है।

प्रथम सूची को 'संघ सूची' कहते हैं। इस सूची में ९७ विषय हैं तथा इन विषयों पर संघ सरकार कानून बनाती है। राज्य सरकार की 'राज्य सूची' है। इस सूची में ६६ विषय हैं। इन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। इन दोनों सूचियों के अतिरिक्त एक और सूची होती है। इस सूची को 'समवर्ती सूची' कहते हैं। इसमें ४७ विषय हैं। इन विषयों पर संघ और राज्य सरकार कानून बना सकती हैं। इन सूचियों में समाविष्ट विषयों को छोड़कर कोई विषय नए-से निर्माण होता है तो उसपर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को होता है। इस अधिकार को 'अवशिष्ट शक्तियाँ' कहते हैं।



क्या तुम जानते हो ?

भारतीय संघराज्य में अधिकारों का विभाजन वैशिष्टपूर्ण है। इस प्रकार के विभाजन से संघ सरकार और राज्य सरकार को एक-दूसरे के साथ सहयोग करते हुए देश का विकास साधना संभव होता है। इस प्रणाली में देश के शासन में नागरिकों की सहभागिता को प्रोत्साहन मिलता है।

कौन-से विषय किसके पास हैं ?

(१) **संघ सरकार के अधीन विषय :** रक्षा, विदेश नीति, युद्ध एवं शांति, मुद्रा व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि।

(२) **राज्य सरकार के अधीन विषय :** कृषि, कानून एवं व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य, कारागार प्रशासन आदि।

(३) **दोनों सरकारों के संयुक्त अधीन में विषय :** रोजगार, पर्यावरण, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, व्यक्तिगत कानून, शिक्षा आदि।

संघ शासित प्रदेश : भारत में एक संघ सरकार, २९ राज्य सरकारें और ७ संघशासित प्रदेश हैं।

संघशासित प्रदेशों पर संघ सरकार का नियंत्रण रहता है। नई दिल्ली, दमण-दीव, पुदुच्चेरी, चंडीगढ़, दादरा-नगर हवेली, अंदमान-निकोबार, लक्ष द्वीप संघशासित प्रदेश हैं।



करके देखो

पूर्वोत्तर राज्यों की सूची बनाओ। वहाँ के राज्यों की राजधानी के शहर कौन-से हैं ?

संसदीय शासन प्रणाली : भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को लेकर प्रावधान निश्चित किए हैं। संसदीय शासन प्रणाली में संसद अर्थात विधायिका को निर्णय लेने के सर्वोच्च अधिकार होते

हैं। भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का समावेश रहता है। प्रत्यक्ष शासन चलाने वाले मंत्रिमंडल का निर्माण लोकसभा द्वारा किया जाता है और वह अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय शासन प्रणाली में संसद में होनेवाली चर्चाएँ, विचार विमर्शों को महत्त्व प्राप्त रहता है।

स्वतंत्र न्यायपालिका : भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण किया गया है। जब विवादित मुद्दों का एक-दूसरे के बीच हल निकाला नहीं जा सकता; ऐसी स्थिति में वे न्यायालय में जाते हैं। न्यायालय दोनों पक्षों की जिरह सुनकर जिसके साथ अन्याय हुआ है; उसे दूर



क्या तुम जानते हो ?



प्रचलित नोट

तुमने प्रचलित नोट देखे हैं? उनपर 'केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत' अंकित रहता है।

पुलिसकर्मी के कंधे पर लगे बिल्ले को तुमने देखा होगा। उसपर 'महाराष्ट्र पुलिस' लिखा होता है।

तुमने 'भारतीय रेल' और 'महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल' पढ़ा होगा।

इसका अर्थ यह होता है कि हमारे देश में दो स्तरों पर सरकारें हैं। एक भारत सरकार और दूसरी राज्य सरकार जैसे-महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक सरकार आदि।



महाराष्ट्र पुलिस-बोध चिह्न



भारतीय रेल-बोध चिह्न



महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल-बोध चिह्न

कर न्याय करता है। यह कार्य निष्पक्षता के साथ होना आवश्यक होता है।


न्यायालय को किसी भी प्रकार के दबाव में आकर अपना कार्य न करना पड़े; इसलिए न्यायपालिका को अधिकाधिक स्वतंत्र रखने की दृष्टि से संविधान द्वारा अनेक प्रावधान किए गए हैं। जैसे-न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ सरकार द्वारा न होकर राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। न्यायाधीशों को सरलता से उनके पदों से हटाया नहीं जा सकता।

इकहरा नागरिकत्व : भारतीय संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को एक ही नागरिकत्व

प्रदान किया गया है। वह है-‘भारतीय’ नागरिकत्व।

संविधान में संशोधन करने की पद्धति :

संविधान में उल्लिखित प्रावधानों में परिस्थिति के अनुसार संशोधन अथवा परिवर्तन करना पड़ता है परंतु संविधान में बार-बार संशोधन अथवा परिवर्तन करने से अस्थिरता अथवा अराजकता निर्माण हो सकती है। अतः किसी भी प्रकार का संशोधन करते समय उसपर समग्र विचार किया जाना चाहिए। इसके लिए भारतीय संविधान में ही संविधान संशोधन की संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। संविधान में किसी भी प्रकार का किया जानेवाला संशोधन इसी



प्रक्रिया द्वारा करना आवश्यक होता है। संविधान में संशोधन करने की यह प्रक्रिया बड़ी वैशिष्टपूर्ण है। यह प्रक्रिया बहुत जटिल भी नहीं है और बहुत सरल भी नहीं है। किए जानेवाले महत्वपूर्ण संशोधन पर विचार-विनिमय करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया है तो सामान्य संशोधन बड़ी सहजता-सरलता से किया जाएगा; इतना लचीलापन भी इस प्रक्रिया में है।

ढूँढो

अब तक भारतीय संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया है ?

निर्वाचन आयोग : निर्वाचन आयोग के बारे में तुम समाचारपत्र में हमेशा पढ़ते होंगे। हमारे देश ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया है। फलस्वरूप निश्चित अवधि के बाद जनता को अपने प्रतिनिधि पुनः नए-से चुनकर देने होते हैं। इसके लिए चुनाव करवाने पड़ते हैं। ये चुनाव खुले और निष्पक्ष वातावरण में होना आवश्यक होता है। तभी नागरिक बिना किसी भी दबाव के योग्य और सही



बताओ तो

वर्तमान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कौन हैं ?
चुनावी आचार संहिता किसे कहते हैं ?
निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं ?

प्रत्याशी को चुनकर भेज सकते हैं। यदि सरकार चुनाव का आयोजन करती है तो खुले और निष्पक्ष वातावरण में चुनाव होंगे ही; ऐसा विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमारे संविधान ने चुनाव संपन्न कराने का दायित्व एक स्वतंत्र संस्थान को सौंपा है। वह संस्थान अर्थात् 'निर्वाचन आयोग' है। भारत में सभी महत्वपूर्ण चुनाव संपन्न कराने का दायित्व निर्वाचन आयोग पर है।

भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएँ हैं। इस पाठ में हमने उनमें से कतिपय महत्वपूर्ण विशेषताओं का ही अध्ययन किया है। मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तृत प्रावधानों का होना हमारे संविधान की और एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उसका अध्ययन हम अगले पाठ में करेंगे।



स्वाध्याय

१. संघराज्य शासन प्रणाली के अनुसार अधिकारों का विभाजन किस प्रकार किया गया है; इसकी सूची निम्न तालिका में बनाओ।

संघ सरकार	राज्य सरकार	वे विषय जो दोनों सरकारों के पास हैं।
(१) _____	(१) _____	(१) _____
(२) _____	(२) _____	(२) _____
(३) _____	(३) _____	(३) _____

२. उचित शब्द लिखो :

- (१) संपूर्ण देश का शासन चलाने वाली व्यवस्था-
- (२) वह व्यवस्था जो चुनाव संपन्न कराती है-
- (३) दोनों सूचियों को छोड़कर शेष सूची-

३. लेखन करो :

- (१) संघ राज्य में दो स्तरों पर शासन संस्थाएँ होती हैं।

(२) अवशिष्ट शक्तियाँ किसे कहते हैं ?

(३) संविधान द्वारा न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है।

४. 'स्वतंत्र न्यायपालिका के लाभ और हानि' इस विषय पर कक्षा में सामूहिक विचार-विमर्श का आयोजन करो।

५. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (EVM) का उपयोग करने से कौन-से लाभ प्राप्त होते हैं; इसकी जानकारी प्राप्त करो।

उपकम

कक्षा में निर्वाचन आयोग का गठन करो। उस निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में कक्षा के चुनाव संपन्न कराओ।



४. मौलिक अधिकार भाग-१

शिक्षा हमारा
अधिकार है।



न्यूनतम वेतन की गारंटी
मिलनी ही चाहिए, यह
हमारा अधिकार है !



जंगल और वन
संसाधनों पर हमारा
अधिकार है।



चलो, ढूँढें

- * तुम्हें बालकों के अधिकार मालूम होंगे। क्या उनमें से तुम दो महत्वपूर्ण अधिकार बता सकोगे ?
- * महिलाओं के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार जैसी अवधारणाएँ तुम्हें मालूम ही हैं। इन अधिकारों के संबंध में हम सभी के सम्मुख कुछ प्रश्न उपस्थित हो गए हैं।
- * अधिकारों का उपयोग क्या होता है ? वे अधिकार हमें कौन प्रदान करता है ?
- * क्या अधिकारों से हमें वंचित किया जा सकता है ?
- * यदि ऐसा होता है तो इसके विरुद्ध कहाँ न्याय माँगा जा सकता है ?

ऊपर बताई गई जैसी दफ्तियाँ अथवा तख्तियाँ तुमने समाचारपत्र या फिर अन्य दूसरे स्थानों पर देखी होगी। किसी जुलूस अथवा रैली में किसी बात की माँग की जाती है और वह उनका अधिकार बताया जाता है।

हमें जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रत्येक जन्मजात बालक को जीने का अधिकार प्राप्त रहता है। उसे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो; इसके लिए संपूर्ण समाज और सरकार प्रयास करते हैं। यदि सभी लोगों को अन्याय, शोषण, भेदभाव, वंचितता से संरक्षण प्राप्त हुआ; तभी प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में छिपे गुणों और कौशलों का विकास कर सकेगा। स्वयं के और संपूर्ण लोकसमूह के विकास के लिए पोषक तथा अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध कराने की माँग करना, उसके प्रति आग्रह करना ही अधिकारों की माँग करना है।

ऐसा पोषक वातावरण निर्माण करने के लिए संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। वे मौलिक अधिकार हैं। वे अधिकार संविधान में उल्लिखित हैं। अतः उन्हें कानून का दर्जा प्राप्त है। इन अधिकारों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है।

कल्पना करो और लिखो

कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी जैसे पशुओं को तुम पालते होगे। तुम उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हो। उनसे बहुत स्नेह करते हो।

यदि ये पशु बोल पाते तो उन्होंने तुमसे कौन-से अधिकार माँगे होते ?

संविधान में उल्लिखित हमारे अधिकार : संविधान में भारतीय नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख मिलता है। देखेंगे कि वे अधिकार कौन-से हैं।

समता का अधिकार : समता का अधिकार के अनुसार देश भारतीय नागरिकों में ऊँच-नीच, छोटा-बड़ा, स्त्री-पुरुष जैसा भेदभाव करके किसी के भी साथ अलग आचरण नहीं कर सकता। कानून सभी के लिए एक समान है। कई कानून ऐसे होते हैं; जो हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। जैसे- बिना पूछ-ताछ किए गिरफ्तार करने जैसी कृति से हमें संरक्षण प्राप्त है। इस प्रकार का संरक्षण प्रदान करते समय भी सरकार भेदभाव नहीं कर सकती।



चलो, चर्चा करें

सभी को कानून के समक्ष समान मानने और सभी को कानून का समान संरक्षण देने के क्या लाभ हैं ?

समता का अधिकार के अंतर्गत किन बातों का समावेश होता है? सरकारी नौकरी में रखते समय सरकार जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। हमारे देश में छुआछूत का पालन करने वाली अमानवीय प्रथा को कानून द्वारा समाप्त किया गया है। छुआछूत को मानना और उसका पालन करना संज्ञेय अपराध माना गया है।

भारतीय समाज में समता निर्माण करने हेतु इस प्रथा का उन्मूलन किया गया है। जिन उपाधियों और पदवियों द्वारा लोगों में ऊँच-नीच अथवा छोटा-बड़ा का भेद दर्शाया जाता है; ऐसी उपाधियों

और पदवियों पर संविधान द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे राजा, महाराजा, रायबहादुर आदि।



क्या तुम जानते हो ?

वे उपाधियाँ और पदवियाँ देश नहीं दे सकता जो विषमता को बढ़ाती हैं; समाज में फूट पैदा करती हैं और नागरिकों में भेद उत्पन्न करती हैं परंतु समाज के विभिन्न क्षेत्रों में गौरवपूर्ण कार्य करनेवाले महानुभावों को सरकार पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्मविभूषण जैसी उपाधियाँ प्रदान करती है।

भारतरत्न उपाधि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।

सेना में वीरता प्रदर्शित करने वाले कार्यों के लिए परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र जैसे सम्मान पदक दिए जाते हैं।

इन पदकों से सम्मानित किए जाने पर उन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के विशिष्ट अधिकार अथवा विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे पदक प्रदान कर उनके विशिष्ट पराक्रम को गौरवान्वित किया जाता है।

स्वतंत्रता का अधिकार : संविधान द्वारा प्रदत्त यह एक महत्त्वपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार द्वारा व्यक्ति/नागरिक की दृष्टि से आवश्यक सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है।

नागरिक के रूप में हमें-

- * भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है।
- * बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्रित होकर जनसभा का आयोजन कर सकता है।
- * कोई संस्था अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है।
- * भारत के किसी भी प्रदेश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है।
- * भारत के किसी भी भाग में रहने/बसने की स्वतंत्रता प्राप्त है।
- * अपनी पसंद का व्यापार अथवा उद्योग करने की स्वतंत्रता प्राप्त है।



करके देखो

यहाँ 'अ' 'ब' और 'क' द्वारा की गई कृतियाँ दी गई हैं। तुम इन कृतियों को ऊपर उल्लिखित किस स्वतंत्रता के साथ जोड़ोगे ?

'अ' ने आदिवासियों की समस्याओं को हल करने के लिए 'आदिवासी सहयोग मंच' का गठन किया। 'ब' ने अपने पिता जी का बेकरी उत्पादन का व्यवसाय गोआ से महाराष्ट्र में ले आने का निर्णय किया।

'क' व्यक्ति को सरकार की नई कर संरचना की नीतियों में दोष अनुभव हुए। इस संदर्भ में उस व्यक्ति ने एक लेख लिखकर प्रकाशित करवाने हेतु समाचारपत्र को भिजवाया।



क्या तुम जानते हो ?

संविधान द्वारा हमें अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं परंतु हम उनका लापरवाही अथवा दायित्वहीनता के साथ उपयोग नहीं कर सकते। हमारे ऐसे व्यवहार के कारण दूसरों की हानि नहीं होगी; इसका हमें बोध रहना चाहिए। हमें अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त है परंतु उकसाने अथवा भड़काने वाला लेखन कार्य अथवा भाषण हम नहीं कर सकते।

संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा हमें न केवल घूमने-फिरने अथवा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है अपितु हम सुरक्षित रह सकें; इस हेतु हमारे लिए संरक्षण उपलब्ध करवा दिया है। कानून का संरक्षण सभी को समान रूप से प्राप्त है। उससे किसी को भी वंचित नहीं रखा जा सकता। जैसे- हम सभी को जीने का अधिकार है। ऊपरी तौर पर यह अधिकार सीधा-सादा अनुभव होता है परंतु उसमें गहन अर्थ छुपा हुआ है। इसका अर्थ जीने की गारंटी और जीने के लिए पोषक/अनुकूल परिस्थिति का होना है। किसी भी व्यक्ति का जीवन कोई भी छीन नहीं सकता। बिना किसी कारण/प्रमाण के किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाकर कारागार में रख नहीं सकते।

स्वतंत्रता के अधिकार में अब शिक्षा के अधिकार का भी समावेश किया गया है। ६ से १४ वर्ष आयु वर्ग के सभी लड़के-लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। इस अधिकार के कारण अब शिक्षा से कोई भी वंचित नहीं रहेगा।



विचार करो

जीवन छीन लेने के अधिकार के लिए अन्य दूसरे कुछ पूरक अधिकार हैं। जैसे-एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को दंडित करने से पूर्व उसपर लगाए गए अभियोग सिद्ध किए जाने चाहिए। यह काम न्यायालय करता है। अभियोग सिद्ध करने वाले प्रमाणों-सबूतों को इकट्ठा करना और न्यायालय में मुकदमा दायर करना पुलिस का काम होता है। 'मैंने अपराध किया है;' ऐसा कहने वाले व्यक्ति को भी आनन-फानन दंडित नहीं किया जा सकता। उस व्यक्ति का अपराध भी कानून के आधार पर सिद्ध होना आवश्यक होता है। न्यायालय की इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है परंतु यह इसलिए आवश्यक है कि किसी भी अबोध अथवा निरपराध व्यक्ति को दंड भोगना न पड़े।

शोषण के विरुद्ध अधिकार : शोषण की रोकथाम करने के लिए शोषण का शिकार न होने देने, अपना शोषण अथवा दमन न होने देने के अधिकार को शोषण के विरुद्ध का अधिकार कहते हैं।

एक ओर संविधान ने शोषण के विरुद्ध का अधिकार प्रदान कर शोषण और दमन के सभी प्रकारों पर प्रतिबंध लगाया है; वहीं दूसरी ओर बालकों के होने वाले शोषण की रोकथाम करने हेतु विशेष प्रावधान भी किया है। इस प्रावधान के अनुसार १४ वर्ष से कम आयुवाले बालकों को खतरनाक और असुरक्षित स्थानों पर काम पर रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कारखानों, खदानों जैसे स्थानों पर बालकों की नियुक्ति कर उनसे काम करवाया नहीं जा सकता।

किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा न होने पर भी बेगार अथवा सख्ती/कड़ाई से काम करवा लेना, कुछ व्यक्तियों के साथ बंधुआ मजदूर अथवा दास की तरह व्यवहार करना, उन्हें काम का पारिश्रमिक न देना, उनसे कड़ा परिश्रम करवाना, उन्हें भूखों रखना अथवा उनपर अन्याय-अत्याचार करना शोषण के विभिन्न प्रकार हैं। शोषण प्रायः महिलाओं, बालकों, समाज के दुर्बल वर्गों और सत्ताहीन लोगों का होता है। शोषण किसी भी प्रकार का हो; ऐसे शोषण के विरुद्ध खड़े होने का यह अधिकार है।



चलो, चर्चा करें

- यहाँ बाल मजदूर काम नहीं करते।
- यहाँ मजदूरों को प्रतिदिन वेतन दिया जाता है।
तुम अनेक दूकानों और होटलों में ऐसी तख्तियाँ अथवा पाटियाँ देखते हो। उन तख्तियों और संविधान में उल्लिखित अधिकारों के बीच भला क्या संबंध हो सकता है?



स्वाध्याय

- निम्न प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखो :
 - (१) मौलिक अधिकार किसे कहते हैं ?
 - (२) विभिन्न क्षेत्रों में गौरवपूर्ण कार्य करनेवाले व्यक्तियों को सरकार की ओर से कौन-कौन-से पदक/उपाधियाँ दी जाती हैं ?
 - (३) चौदह वर्ष से कम आयुवाले बालकों को खतरनाक अथवा असुरक्षित स्थानों पर काम पर रखने पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है ?
 - (४) संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार क्यों प्रदान किए गए हैं ?
- 'स्वतंत्रता का अधिकार' विषय पर चित्र पट्टिका तैयार करो।
- निम्न वाक्यों में सुधार कर पुनः लिखो :
 - (१) किसी भी व्यक्ति को जन्मतः अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।
 - (२) सरकारी नौकरियों पर रखते समय सरकार धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कर तुम्हें नौकरी से वंचित रख सकती है।




चलो, चर्चा करें

किसी भी व्यक्ति का शोषण न हो तथा वह अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सके; इसके लिए सरकार ने अनेक कानून बनाए हैं। यहाँ कुछ कानूनों का उल्लेख किया गया है। ऐसे अन्य दूसरे कौन-से कानून हैं; वे ढूँढ़ो और उनपर विचार-विमर्श करो।

- न्यूनतम वेतन अधिनियम : कारखाने में काम के घंटे, विश्राम का समय आदि के संबंध में अधिनियम।
- महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने वाला कानून -

इस पाठ में हमने भारतीय संविधान में उल्लिखित समता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध के अधिकारों का अध्ययन किया। अगले पाठ में हम कुछ और मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे।

४. निम्न संकल्पना चित्र पूर्ण करो :



उपक्रम

- (१) समाचारपत्र में छपने वाले 'जानकारी का अधिकार', 'शिक्षा का अधिकार' जैसे कुछ महत्त्वपूर्ण अधिकारों का संग्रह करो।
- (२) तुम्हारे परिसर में किसी इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है और यदि वहाँ छोटे बालक मजदूर करते पाए गए तो उनसे और उनके माता-पिता से विचार-विमर्श करके उनकी समस्याओं को कक्षा में प्रस्तुत करो।



५. मौलिक अधिकार भाग-२

पिछले पाठ में हमने भारतीय संविधान द्वारा दिए गए कुछ मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया है। हमने स्वतंत्रता, समता के साथ-साथ शोषण के विरुद्ध के अधिकार का अध्ययन किया। इस पाठ में हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही मौलिक अधिकारों को प्राप्त न्यायालयीन संरक्षण की भी हमें जानकारी लेनी है।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार : हम जानते हैं कि भारत पूरे विश्व में अग्रणी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पिछली कक्षाओं में भी हमने इसका अध्ययन किया है परंतु इस विषय में संविधान में क्या लिखा हुआ है; इसे समझ लेने की उत्सुकता तुममें होगी ना? तो इसका उल्लेख स्वतंत्रता का अधिकार में प्राप्त है। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म की उपासना करने और धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्था स्थापित करने के अधिकार प्राप्त हैं।

धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को अधिक व्यापक बनाने के लिए संविधान द्वारा धार्मिक विषय में दो बातों को अनुमति नहीं दी गई है। (१) जिस कर का उपयोग विशिष्ट धर्म को प्रोत्साहन अथवा बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा; सरकार ऐसे कर लाद नहीं सकती। संक्षेप में; संविधान ने धार्मिक कर लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। (२) सरकार से आर्थिक सहायता लेने वाले शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं किया जा सकता।

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार : हमारे देश में तीज-त्योहार, पर्व, भोजन और जीवन प्रणाली को लेकर बहुत विविधता पाई जाती है; यह हम देखते हैं। तुमने विवाह समारोह में देखा ही होगा तो तुम्हें विभिन्न विवाहों में पाया जानेवाला अंतर अनुभव हुआ ही होगा। ये सभी अलग-अलग बातें

अथवा भिन्नताएँ अलग-अलग लोकसमूह की संस्कृति का हिस्सा होती हैं। हमारे संविधान ने विभिन्न लोकसमूहों, उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता का संवर्धन और संरक्षण करने का अधिकार प्रदान किया है। इसके अनुसार अपनी भाषा, लिपि, साहित्य का संवर्धन तो कर ही सकते हैं लेकिन इसके साथ-साथ उनके संवर्धन हेतु प्रयास भी किए जा सकते हैं। भाषा का विकास करने के लिए संस्थाओं का गठन भी किया जा सकता है।

ढूँढो और चर्चा करो

- संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की है?
- हिंदी भाषा के संवर्धन हेतु सरकार ने किन संस्थानों का गठन किया है?
- मराठी भाषा के संवर्धन हेतु महाराष्ट्र सरकार ने किन संस्थानों का गठन किया है?



चलो, चर्चा करें

महाराष्ट्र सरकार और न्यायालय का सभी कामकाज मराठी में किया जाना चाहिए; ऐसा तुम्हें लगता है क्या? इसके लिए क्या करना होगा?

संवैधानिक उपचारों का अधिकार : अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय में याचना करने का अधिकार भी एक प्रकार से मौलिक अधिकार है। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि आपके अधिकारों का हनन होता है तो इसके विरुद्ध न्यायालय में न्याय माँगने के विषय में संविधान द्वारा ही प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार अधिकारों की रक्षा करना न्यायालय पर भी बंधनकारक है।

संविधान द्वारा दिए अधिकारों पर कई बार अतिक्रमण हो सकता है और हम अपने अधिकारों का

अधिकार हनन के अन्य प्रकार

- उचित कारण के अभाव में किसी व्यक्ति को बंदी बनाना ।
- उचित कारण के अभाव में किसी व्यक्ति को गाँव/शहर छोड़कर जाने के लिए मना करना ।
- कारागार के बंदियों/कैदियों को भोजन तथा औषधि से वंचित रखना ।

उपयोग कर नहीं पाते । इसी को हम हमारे अधिकारों का हनन हुआ; ऐसा कहते हैं । अधिकारों के हनन से संबंधित हमारी शिकायत पर न्यायालय विचार करता है । उसकी जाँच-पड़ताल करता है। यदि सचमुच अधिकार का हनन हुआ है अथवा संबंधित व्यक्ति पर अन्याय हुआ है; ऐसा न्यायालय को अनुभव होने पर न्यायालय उचित न्याय करता है ।

अधिकार हनन निवारण हेतु न्यायालय के आदेश : नागरिकों को दिए अधिकारों की रक्षा करने हेतु न्यायालय को विविध आदेश देने का अधिकार प्रदान किया गया ।

(१) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) :

अवैध अथवा गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाने और स्थानबद्ध करने से किसी भी व्यक्ति की रक्षा करना ।

(२) परमादेश (Mandamus) :

लोगों के हित में कोई कार्य करने के लिए सरकार को दिया जाने वाला न्यायालयीन आदेश ।

सरकारी अधिकारी का यह व्यवहार उचित है

अथवा अनुचित ?

निराधारों के लिए बनाई गई एक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एक महिला ने सभी आवश्यक कागज (दस्तावेज) अधिकारी को दिए । उस समय अधिकारी ने यह कहकर, 'तुम निराधार (बेसहारा) नहीं लगती।' उस महिला को लाभ प्रदान करने से नकार दिया । अधिकारी का यह व्यवहार उचित है अथवा अनुचित ?

क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उपरोक्त घटना में महिला के अधिकार का हनन हुआ है? यदि उस महिला को न्याय माँगना है तो उसे कहाँ जाना चाहिए ?



न्यायालय का कामकाज

(३) निषेधात्मक आदेश (Prohibition) : निचले अथवा कनिष्ठ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करने देने का आदेश देना ।

(४) स्पष्टीकरण माँगने का अधिकार (Quo Warranto) : किस अधिकार के अंतर्गत यह कार्यवाही की गई है; इस प्रकार का स्पष्टीकरण सरकारी अधिकारी से माँगने का न्यायालयीन आदेश ।

(□) उत्प्रेक्षण (Certiorari) : निचले अथवा कनिष्ठ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को निरस्त

कर ऊपर के न्यायालय में मुकदमा दायर करने हेतु आदेश देना ।

इस तरह मौलिक अधिकारों को न्यायालयीन संरक्षण प्राप्त रहने से नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग उचित पद्धति से कर सकते हैं । वे अधिक सजग, उत्तरदायी और सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं । मौलिक अधिकारों का विचार करते समय हमें अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए । इसका अध्ययन हम अगले पाठ में करेंगे ।



स्वाध्याय

१. लेखन करो :

- (१) धार्मिक कर लगाने पर संविधान प्रतिबंध लगाता है ।
- (२) संवैधानिक उपचारों का अधिकार का क्या अर्थ है ?

२. उचित शब्द लिखो :

- (१) अवैध अथवा गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाने तथा स्थानबद्ध करने से प्राप्त संरक्षण -
- (२) किस अधिकार के अंतर्गत यह कार्यवाही की है, इस प्रकार का सरकारी अधिकारी से स्पष्टीकरण माँगनेवाला न्यायालयीन आदेश -
- (३) लोकहित में कोई कार्य करने हेतु सरकार को दिया जानेवाला न्यायालय का आदेश
- (४) निचला अथवा कनिष्ठ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करे; इस विषय में दिया जानेवाला आदेश -

३. हम यह कर सकते हैं; इसका कारण आगे स्पष्ट करो :

- (१) सभी भारतीय नागरिक सभी पर्व-उत्सव हर्षोल्लास के साथ मना सकते हैं । क्योंकि ...
- (२) मैं हिंदी भाषा में पढ़ाई कर सकता हूँ । क्योंकि...

४. रिक्त स्थान में भला कौन-सा शब्द लिखना चाहिए :

- (१) अधिकार हनन के संबंध में हमारी शिकायत पर विचार करता है ।
- (२) सरकार से आर्थिक सहायता लेनेवाले विद्यालयों में शिक्षा अनिवार्य नहीं की जा सकती ।

उपक्रम

तुम अपने विद्यालय में न्यायाधीश, वकील, पुलिस अधिकारी के साक्षात्कार का आयोजन करो ।



६. नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य

पिछले पाठ में हमने भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का अध्ययन किया। पाठ द्वारा हमें यह बोध हुआ कि भारतीय नागरिकों को कौन-कौन-से अधिकार प्राप्त हैं। यही नहीं अपितु हमने यह भी समझा कि इन अधिकारों को न्यायालयीन संरक्षण भी प्राप्त है। मौलिक अधिकारों का हमारे व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन में निहित महत्त्व भी ध्यान में आया। इस पृष्ठभूमि में हम नीति निदेशक सिद्धांत किसे कहते हैं; इसे समझेंगे।

मौलिक अधिकार सरकार के अधिकारों पर बंधन लगाते हैं। निम्न सूची पढ़ो तो ध्यान में आएगा कि सरकार पर कौन-से बंधन लगे होते हैं। जैसे-

- सरकार नागरिकों में जाति, धर्म, वंश, भाषा तथा लिंग के आधार पर भेदभाव न करे।
- सभी कानून के समक्ष समान हैं तथा सभी को कानून का समान रूप से संरक्षण प्राप्त है; इससे किसी को भी वंचित न रखे।
- किसी भी व्यक्ति के प्राण छीन न लें।
- धार्मिक कर लागू न करे।

सरकार क्या करे; इस विषय में संविधान में कुछ निदेशों का उल्लेख प्राप्त है। इन निदेशों का उद्देश्य यह है कि संविधान की उद्देशिका में जो उद्देश्य स्पष्ट किए गए हैं; उन्हें प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन मिले। अतः इन निदेशों को 'नीति निदेशक सिद्धांत' कहते हैं।

नीति निदेशक सिद्धांतों का समावेश क्यों किया गया ?

देश स्वतंत्र हुआ; उस समय हमारे सामने सब से बड़ी चुनौती देश में कानून एवं व्यवस्था निर्माण करने और सुचारु रूप से प्रशासन चलाने की थी। दरिद्रता, पिछड़ापन, निरक्षरता को दूर कर देश की शासन व्यवस्था को पटरी पर लाना था। राष्ट्र

निर्माण एवं विकास का कार्य करना था। इसके लिए नव-नवीन नीतियाँ तय करना और उनका कार्यान्वयन करना आवश्यक था। लोककल्याण के उद्देश्य को साध्य करना था। संक्षेप में, भारत का रूपांतर एक नए विकसित और उन्नत देश में करना था। इसके लिए संघ सरकार और राज्य सरकार को किन विषयों को प्राथमिकता देनी चाहिए, लोककल्याण हेतु कौन-सी उपाय योजनाएँ करनी चाहिए; यह संविधान में नीति निदेशक सिद्धांतों द्वारा स्पष्ट किया गया है। इन सिद्धांतों को राज्यों की नीतियों का आधार बनाया। प्रत्येक नीति निदेशक सिद्धांत में राज्य की नीति निर्धारण हेतु एक विषय निहित है। उस विषय के आनुषंगिक रूप से राज्य नई नीति निश्चित करे; यह अपेक्षा संविधान के निर्माणकर्ता ने व्यक्त की है। वे इस तथ्य से परिचित थे कि इन सभी नीतियों का कार्यान्वयन एक साथ और एक ही समय में करना हो तो उसके लिए विपुल धन की आवश्यकता अनुभव होगी। इसीलिए उन्होंने सरकार पर मौलिक अधिकारों के समान नीति निदेशक सिद्धांतों को अनिवार्य नहीं बनाया। सभी राज्य क्रमशः लेकिन निश्चित रूप से उन सिद्धांतों का कार्यान्वयन करें; ऐसी अपेक्षा संविधान निर्माताओं ने व्यक्त की।

कुछ महत्त्वपूर्ण नीति निदेशक सिद्धांत :

- सरकार सभी को आजीविका का साधन उपलब्ध करा दे। इस बारे में स्त्री और पुरुष का भेदभाव न करे।
- स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन दे।
- लोगों के स्वास्थ्य सुधार हेतु उपाय योजना करे।
- पर्यावरण की रक्षा करे।
- राष्ट्र की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थानों अर्थात् स्मारकों, वास्तुओं का संरक्षण करे।



बताओ तो

वेतन के संदर्भ में 'समान काम के लिए समान वेतन' यह नीति निदेशक सिद्धांत है। इस सिद्धांत द्वारा संविधान के कौन-से उद्देश्य साध्य होंगे; ऐसा तुम्हें लगता है। स्त्री-पुरुष समान काम करते हैं; फिर भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम वेतन देने की घटनाएँ क्यों पाई जाती हैं ?



करके देखो

उपरोक्त नीति निदेशक सिद्धांतों के अतिरिक्त अन्य नीति निदेशक सिद्धांत यह स्पष्ट करते हैं कि सरकार को लोककल्याण हेतु क्या करना चाहिए। नीचे कुछ विषय दिए गए हैं। इस संदर्भ में कौन-सा नीति निदेशक सिद्धांत है; यह शिक्षक की सहायता से ढूँढो।

जैसे- विदेश नीति : विश्व शांति और पारस्परिक सौहार्द को प्राथमिकता

(अ) लड़कियों की शिक्षा

(ब) स्वस्थ और आनंदमय वातावरण में बच्चों का भरण-पोषण

(क) कृषि में सुधार

- समाज के दुर्बल वर्गों को विशेष संरक्षण प्रदान करे तथा उनके लिए विकास के अवसर उपलब्ध करा दे।
- वृद्धावस्था, दिव्यांगत्व, बेरोजगारी से नागरिकों की रक्षा करे।
- भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू करे।

नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मौलिक अधिकारों के कारण नागरिकों को अत्यावश्यक स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो नीति निदेशक सिद्धांत लोकतंत्र दृढ़ होने के लिए पोषक वातावरण का निर्माण करते हैं।

तुम्हारे विचार में सरकार को विद्यार्थियों के लिए और अधिक क्या करना चाहिए ? तुम्हारी माँ उचित और सही हैं; इसका विश्वास किस प्रकार दिलाओगे ?

तुम्हारी दृष्टि से सरकार द्वारा दी गई निम्न सुविधाओं के कारण कौन-से सुधार होंगे;

(अ) सार्वजनिक स्वच्छतागृह

(ब) स्वच्छ जलापूर्ति

(क) शिशुओं का टीकाकरण

अर्थात् सरकार ने किसी नीति निदेशक सिद्धांत का पालन अथवा कार्यान्वयन नहीं किया तो सरकार के विरुद्ध हम न्यायालय में नहीं जा सकते लेकिन विभिन्न स्रोतों से सरकार पर दबाव लाकर हम नीति निश्चित करने हेतु आग्रही बन सकते हैं।

मौलिक कर्तव्य

लोकतंत्र में नागरिकों पर दोहरा उत्तरदायित्व होता है। एक ओर उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के बारे में जागरूक रहना पड़ता है। अधिकारों का हनन नहीं होगा; इस बारे में सतर्क रहना पड़ता है तो दूसरी ओर कुछ कर्तव्य और उत्तरदायित्व भी पूर्ण करने पड़ते हैं। सभी भारतीयों की उन्नति एवं कल्याण साध्य होने हेतु संविधान ने मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों द्वारा अनेक प्रावधान किए हैं परंतु जब तक नागरिक अपने मौलिक कर्तव्य पूर्ण नहीं करते; तब तक सरकार द्वारा किए जाने वाले सुधारों का लाभ सभी को नहीं मिलता। जैसे- 'स्वच्छ भारत' अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा स्वच्छता से संबंधित अनेक उपक्रम चलाए गए परंतु सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की अस्वच्छता और गंदगी निर्माण करने की आदतें बदलनी चाहिए। भारतीय नागरिकों को अपने दायित्वों का बोध हो; इसके लिए संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य इस प्रकार हैं :

- प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करे।

संविधान में उल्लिखित आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत का सम्मान करे ।

- स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा प्रदान करने वाले आदर्शों का पालन करे ।
- देश की संप्रभुता, एकता और अखंडितता को संरक्षित रखने हेतु प्रयत्नशील रहे ।
- अपने देश की रक्षा करे । देश की सेवा करे ।
- सभी प्रकार के भेदभावों को भुलाकर एकात्मता में वृद्धि करे और बंधुता की भावना को वृद्धिंगत करे। उन प्रथाओं का त्याग करे जिनके कारण नारी की प्रतिष्ठा कम होती है ।
- हमारी मिली-जुली सांस्कृतिक विरासत का निर्वाह करे ।
- प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे । समस्त सजीवों के प्रति दयाभाव रखे ।

- वैज्ञानिक दृष्टि, मानवतावाद और जिज्ञासावृत्ति को अंगीकृत करे ।
- सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे । हिंसा का त्याग करे ।
- देश की उत्तरोत्तर उन्नति होने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों में श्रेष्ठत्व पाने का प्रयास करे ।
- ६ ते १४ वर्ष आयुवर्ग के अपने बच्चों को उनके अभिभावक शिक्षा के अवसर उपलब्ध करा दें ।

सूची बनाओ


- घर में तुम किन अधिकारों की माँग करते हो और कौन-से कर्तव्य पूर्ण करते हो ?
- विद्यालय में तुम कौन-कौन-से दायित्व पूर्ण करते हो ? वहाँ का कौन-सा दायित्व पूर्ण करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता ?



स्मारक/वास्तु पर नाम उकेरता लड़का



टंगे हुए नीबू-मिर्च



बस की तोड़फोड़



सड़क पर कूड़ा-कचरा फेंकती महिला

तुम्हारे विचारानुसार इन चित्रों में किन कर्तव्यों का पालन नहीं हो रहा है ?

हमारे गाँव की नदी, नदी जैसी लगती ही नहीं है। उसमें कितना सारा प्लास्टिक का कूड़ा-कचरा जमा है ! मुझसे कोई भी कहे लेकिन अब मैं नदी में कूड़ा कचरा नहीं फेंकूँगा।



यह तो ठीक है लेकिन उन कनफोड़ आवाजों का क्या करना है ?



नागरिक के रूप में हमें अपने दायित्वों के प्रति भी आग्रही रहना चाहिए।



पर्व-उत्सव मनाते समय लोगों को ध्यान ही नहीं रहता है।



हमारे देश के संसाधनों और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।



हम धीरे-धीरे प्रारंभ तो करेंगे... कुछ संकल्प करेंगे।

- लड़के-लड़कियों से विद्यालय जाने के लिए कहेंगे।
- विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का सावधानी से उपयोग करेंगे।
- अपने देश के प्रति गौरव का भाव रखेंगे।
- सभी धर्मों के पर्व-उत्सवों में हिस्सा लेंगे। ये सभी पर्व-त्योहार पर्यावरण को दूषित न करते हुए मनाएँगे।
- सार्वजनिक सुविधाओं का सावधानी के साथ उचित उपयोग करेंगे।
- स्वीकारे हुए कार्यों को पूरी निष्ठा और उत्तम ढंग से करेंगे।



उपर्युक्त संवादों द्वारा हमें किन-किन कर्तव्यों का बोध होता है ? क्या अधिकारों और कर्तव्यों के बीच कोई संबंध होता है ? तुम्हारे विचार में कर्तव्यों का पालन करने से क्या होता है।

तुम्हें क्या लगता है ?

६ से १४ वर्ष आयुवर्ग के लड़के-लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। इस आयुवर्ग के सभी लड़के-लड़कियों को विद्यालय में प्रवेश लेना आवश्यक है। फिर भी अनेक कारणों से लड़के-लड़कियाँ विद्यालय में जा नहीं पाते। उन्हें अपने माता-पिता की आर्थिक सहायता करने के लिए काम करना पड़ता है। ऐसे लड़के-लड़कियों को विद्यालय में ले आने का आग्रह करना उनपर अन्याय होगा; ऐसा तुम्हें लगता है क्या ?



स्वाध्याय

१. सरकार पर कौन-से बंधन होते हैं; इसकी निम्न चौखट में तालिका बनाओ।

• _____
• _____
• _____

२. निम्न कथनों को पढ़ो और 'जी हाँ'/'जी नहीं' में उत्तर लिखो :

- (१) समाचारपत्र में दिए गए नौकरी के विज्ञापन में महिला और पुरुष के लिए पद होते हैं
- (२) एक ही कारखाने में एक ही प्रकार का काम करनेवाले स्त्री-पुरुष को अलग-अलग वेतन मिलता है ...
- (३) स्वास्थ्य सुधार योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ चलाई जाती हैं
- (४) राष्ट्र की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्मारकों वास्तुओं का संरक्षण करना चाहिए

३. क्यों, यह बताओ :

- (१) ऐतिहासिक वास्तुओं, भवनों, स्मारकों का संरक्षण करना।
- (२) वृद्धों के लिए पेन्शन योजना चलाई जाती है।
- (३) ६ से १४ आयुवर्ग के बालकों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया गया है।

४. उचित अथवा अनुचित; यह बताओ। अनुचित कथन को सुधारो।

- (१) राष्ट्रध्वज को जमीन पर गिरने न देना।
- (२) राष्ट्रगीत जब चल रहा हो; उस समय सावधान की स्थिति में खड़ा रहना।

इस पाठ्यपुस्तक के प्रारंभिक पाठों में हमारा भारतीय संविधान के उद्देश्यों और विशेषताओं से परिचय हुआ। भारतीय नागरिकों के अधिकार, उन अधिकारों को प्राप्त संरक्षण का भी हमने विचार किया। हमारे मौलिक कर्तव्य कौन-से हैं; इसे भी हमने समझा। अगले वर्ष हम हमारे देश का शासन कैसे चलाया जाता है; इसका अध्ययन करेंगे।

- (३) हमारे ऐतिहासिक स्मारक/वास्तु पर अपना नाम लिखना/उकेरना।
- (४) समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम वेतन देना।
- (५) सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखना।

५. लेखन करो :

- (१) संविधान के कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं; वे कौन-से हैं ?
- (२) भारतीय संविधान में उल्लिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून का प्रावधान क्यों किया होगा ?
- (३) नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं; ऐसा क्यों कहा जाता है ?

६. नागरिक पर्यावरण का संवर्धन और संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं; उदाहरणसहित लिखो।

उपक्रम

- (१) शिक्षा हमारा अधिकार है; लेकिन उस संदर्भ में हमारे कर्तव्य कौन-से हैं; इसपर समूह में विचार-विमर्श करो।
- (२) राष्ट्र की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण वास्तुओं, स्मारकों का संवर्धन करने हेतु राज्य सरकार उपाय करे; ऐसा नीति निर्देशक सिद्धांत है। किलों/गढ़ों के संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने क्या किया है; वह ढूँढो और सूची बनाओ।
- (३) बालकों के स्वास्थ्य के लिए सरकार कौन-सी योजनाएँ चलाती है; इस विषय में जानकारी प्राप्त करो।

